Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-783/MRLY/23/2023-SSW **NOTICE** दिनांक: 28.02.2023

सेवा में,

Shri S.K. Gupta
General Manager
Western Central Railway
जबलपुर -482001 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: gm@wcr.railnet.gov.in

विषय: **पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी का उप्त्पीडन करने के संबंध में - श्री पवन कुमार, सहायक, टी.आर.डी विभाग,पश्चिम मध्य रेलवे, माण्डलगढ़, जिला-भीलवाडा का दिनांक 01.09.2022 का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री पवन कुमार** से दिनांक 01.09.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 **दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

रा० मिश्र
(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. **श्री पवन कुमार,
टी.आर.डी. रेलवे कालोनी,
माण्डलगढ़, जिला-भीलवाडा-311604
(राजस्थान)
(Mob No. 9549302838)**

(अभ्यावेदन में वर्णित घटनाओं के संबंध मे की गई शिकायतों की प्रतियां उपरोक्त अधिकारी को सीधे भेजे तथा आयोग को भी उपलब्ध कराएं)

2. NIC, NCST (please upload on the website)